214

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2017 निगरानी III/निगरानी/भिण्ड/भू.रा./2017/3031

उदयवीर शर्मा पुत्र स्व. श्री मेवाराम शर्मा जाति–ब्राह्मण, निवासी–ग्राम सिनोर, तहसील गोहद जिला भिण्ड हाल निवासी–109, राघवपुरम, मुरार ग्वालियर

——— आवेदक/निगरानीकर्ता

श्री ... द्वारा आज दि. 01-9-17 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर
1-9-17

बनाम

शिवम शर्मा पुत्र श्री राकेश शर्मा निवासी–लाल साहब का बगीचा, एस.एल.पी. कॉलेज के पास, मुरार ग्वालियर

——— अनावेदक/गैर निगरानीकर्ता

1-9-17

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश पत्रिका दिनांक 20–07–2017, 27–07–2017 एवं 04–08–2017 द्वारा पारित तहसीलदार गोहद प्रकरण क्रमांक 18/2016–17 अ–6

महोदय,

श्रीमान् जी के समक्ष निगरानी आवेदन पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

प्रकरण के तथ्य :–

1– यह कि, अनावेदक/गैर पुनरीक्षणकर्ता द्वारा तहसीलदार गोहद जिला भिण्ड के समक्ष आवेदन पत्र वसीयत के आधार पर नामान्तरण बावत् आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम रामपुरा की भूमि सर्वे क्रमांक 128 रकवा 0.35 हेक्टेयर, 129 रकवा 0.04 हेक्टेयर, 870/1 एकवा 1.60 हेक्टेयर पर रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर स्व. मेवाराम पुत्र हरदयाल प्रसाद के स्थान पर नामान्तरण किया जावे। उक्त आवेदन को तहसीलदार महोदय द्वारा प्रकरण क्रमांक 18/2016–17 अ–6 पर दर्ज कर विज्ञप्ति जारी करने बावत् आदेश किया। आवेदक को जानकारी होने पर आवेदक द्वारा अधीनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत की एवं माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रकरण क्रमांक 1426/II/2017 (निगरानी) आदेश दिनांक

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक तीन / निगरानी / भिण्ड / भूरा / 2017 / 3031

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा' आदि के हस्ताक्षर
28 –9–17	आवेदक के अधिवक्ता श्री पी0 के0 तिवारी उपस्थित होकर उनके द्वारा तहसीलदार गोहद जिला भिण्ड के प्रकरण कमांक 18 / अ–6 / 2016–2017 में आदेश पत्रिका दिनांक 20.7.17, 27.7.17, एवं 4.8.17 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 2– आवेदक अधिवक्ता श्री पी0 के0 तिवारी उपस्थित। उनके द्वारा अपने तर्क में उन्हीं तथ्यों को दौहराया गया है जो उनके द्वारा निगरानी मेमों में उल्लेख किया गया है। अनावेदक अधिवक्ता श्री चन्द्रेश श्रीवास्तव उपस्थित होकर बताया गया है कि अभी तहसीलदार गोहद के न्यायालय में आपत्ति का निराकरण नहीं किया गया है। उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर प्राप्त है। 3– उभयपक्ष के अधिवक्तागणं के तर्क श्रवण किये तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट कि अभी आवेदक द्वारा धारा– 32 का आवेदन प्रस्तुत किया गया था, उस पर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। अतः अभी दोनों पक्षों को वहां पर सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्राप्त है। अतः प्रस्तुत निगरानी बलहीन होने से निरस्त की जाती है। सदस्य	